☎ Office : 0291-2545066
0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR - 342 001
e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

SANJAY SHARMA
Chairman

Ref. No. BCR/ 2423.

Dated 26.02.2013.

परम सम्माननीय अधिवक्ता बंधू।

निवेदन है कि राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं का राज्य के विकास में हमेशा महत्वर्पूण योगदान रहा है। समाज के उत्थान में भी अधिवक्ताओं का योगदान सराहनीय रहा है। अधिवक्ता समाज की गिनती समाज के प्रबुद्व वर्गों में होती है पिछले कुछ समय से राजस्थान के अधिवक्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है।

बार कॉउन्सिल आफ राजस्थान द्वारा इस संदर्भ में अधिवक्ताओं की मांगों को सरकार के समक्ष रखा है परंतु राज्य सरकार द्वारा आज तक अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी की गयी है। कई बार बार कॉउन्सिल आफ राजस्थान द्वारा राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं से संबंधित मागों को पूरी करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है परंतु आज तक राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं की ना तो मांगे मानी गयी है और ना ही उन पर कोई विचार किया गया है।

यह बडे दुख का विषय है कि राजस्थान राज्य के मुख्मंत्री अधिवक्ता समाज से संबंधित रहे है परंतु इसके बाबजूद भी उनके द्वारा आज तक अधिवक्ताओं के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में बार कॉउन्सिल आफ राजस्थान द्वारा के सदस्यों एवं उनके द्वारा बनायी गयी समन्वयन समिति की दिनांक 24.02.2013 को जयपुर में एक मिटिंग आहूत की गयी थी इस मिटिंग में सभी सदस्यों ने एक राय से सरकार द्वारा अपनाये गये अडियल रवैये के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सरकार के विरूद्व आंदोलन किये जाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत दिनांक 01.03.2013 को पूरे राजस्थान में सभी बार एसोसिएशन विरोध दिवस के रूप में मनाएगें एवं सभी बार एसोसिएशन राज्य सरकार को ज्ञापन भेजेगें। दिनांक 06.03.2013 को राजस्थान विधानसभा पर अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है। राजस्थान

RESIDENCE & OFFICE : 1, Gopalpura Gaon, Gopalpura Byepass, Near Triveni Nagar Choraha, **JAIPUR**
Phone : 0141-2761762 (R), 98290-56176 (M)

☎ Office : 0291-2545066
0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR - 342 001
e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

SANJAY SHARMA
Chairman

Ref. No. BCR/

Dated.....

राज्य के अधिवक्ताओं का जो मांग पत्र राज्य सरकार के समक्ष भेजा गया है वह निम्न प्रकार है–

1. **संपूर्ण राजस्थान** राज्य के अधिवक्ताओं को न्यूनतम दरों पर आवास हेतु भूमि उपलब्ध करायी जावे।
2. **पांच वर्ष से कम** अनुभव वाले नये अधिवक्ताओं को रू0 2000/– प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जावे।
3. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में कम से कम रू0 10.00 करोड का सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जावे।
4. अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया जावे।
5. राजस्थान राजस्व बोर्ड में अधिवक्ताओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जावे।
6. जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष पदों पर 50 प्रतिशत अधिवक्ता को नियुक्त किया जावे।
7. जिला एवं तहसील स्तर पर अधिवक्ता संघों में राज्य सरकार की ओर से एक परिपूर्ण पुस्तकालय की स्थापना की जावे।
8. जयपुर और जोधपुर में बनाये जाने वाले अधिवक्ता भवनों के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जावे एवं अजमेर में भी अधिवक्ता भवन बनाये जाने के लिए भूमि एवं अनुदान दिया जावे।
9. राजस्थान में स्थित अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) में सदस्य के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जावे।
10. राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जावे।
11. राज्य की सभी अदालतों में आधारभूत सुविधाऐं सरकार द्वारा प्रदान की जावे जिससे की समुचित माहौल में न्याय कार्य हो सके।
12. राज्य की सभी अदालतों का कम्प्यूटराईजेशन किया जावे।

RESIDENCE & OFFICE : 1, Gopalpura Gaon, Gopalpura Byepass, Near Triveni Nagar Choraha, **JAIPUR**
Phone : 0141-2761762 (R), 98290-56176 (M)

☎ Office : 0291-2545066
0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR - 342 001
e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

SANJAY SHARMA
Chairman

Ref. No. BCR/

Dated.....

13. राजस्थान न्यायिक सेवा एवं सहायक लोक अभियोजक सेवा में न्यूनतम आयु 35 वर्ष से बढाकर 40 वर्ष की जावे।
14. जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में राजस्थान के छात्र/छात्राओं के लिए कोटा आरक्षित किया जावे।

अतः आप सभी से निवेदन है कि दिनांक 24.02.2013 को सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01.03.2013 को विरोध दिवस के रूप में मनावें एवं दिनांक 06.03.2013 को अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पधारें जिससे की विधानसभा पर असाधारण शक्ति प्रदर्शन किया जा सके।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान बार कॉउन्सिल हमेशा अधिवक्ता के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और अब भी आप सबके सहयोग एवं संबल से ऐसा असाधारण आंदोलन संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा कि राजस्थान सरकार को अधिवक्ताओं की मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पडेगा।

मुझे आशा ही नहीं पूर्णतयः विश्वास है कि आप सभी के द्वारा इस पुनीत कार्य के लिए सहयोग प्रदान किया जावेगा।

भवदीय,

(संजय शर्मा)
चैयरमेन

RESIDENCE & OFFICE : 1, Gopalpura Gaon, Gopalpura Byepass, Near Triveni Nagar Choraha, JAIPUR
Phone : 0141-2761762 (R), 98290-56176 (M)